पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 06 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 27.09.2024

दिनांक- 26/27.09.2024 को-

01-थाना गोमतीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 449/2024 धारा-191(2)/191(3)/190/61(2)/109/115(2)/351(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त प्रिंस यादव

02-थाना महानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 198/22 धारा- 409/420/120बी IPC से सम्बन्धित अभियुक्त प्रवीण कुमार राय

03-थाना मोहनलालगंज में पंजीकृत मु0अ0स0- 439/24 धारा- 64/296/115(2)/352 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त मनीष यादव

04-थाना सैरपुर में पंजीकृतमु0अ0सं0 131/2024 धारा 305/331(3)/317(2) BNS व मु0अ0सं0 117/2024 धारा- 305/331(3)/317(2) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01-रमेश 02-मोनू रावत

05-थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में पंजीकृत मु0अ0सं0 392/24 धारा 351(3)/351(4)/352/78/69/318(4)/316(2) BNS व 67 IT ACT से सम्बन्धित अभियुक्त शिवम यादव गिरफ्तार।

जोन-मध्य

एक्सीडेन्ट- थाना कैसरबाग-

दिनांक 26/27.09.2024 को समय करीब रात्रि 02.30 बजे कैसरबाग कोतवाली के सामने अनियंत्रित तेज़ रफ़्तार स्विफ्ट कार UP32 KT0196 डिवाइडर से जा टकराई, इस सूचना पर तत्काल कैसरबाग पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर कार चालक कपिल कुमार गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता उम्र करीब 25 वर्ष निवासी फ्तेहगंज अमीनाबाद थाना नाका, लखनऊ के सिर पर सामान्य चोट लगी थी, कार में कपिल कुमार गुप्ता उपरोक्त अकेल थे, **जिन्हे पुलिस द्वारा बलरामपुर अस्पताल प्राथमिक उपचार हेतू भेजा गया है परिजन मौके पर मौजूद है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।**

जोन पश्चिमी

थाना काकोरी-

दिनांक 26.09.2024 को वादिनीं मंजू प्रकाश श्रीवास्तव निवासी-मोहान रोड,स्काई सिटी सोसायटी, थाना काकोरी लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी जिसमें दिनांक 04.09.2024 को वादिनी के व्हाट्सप पर एक मैसेज आया जिसमें एप की रेंटिंग कर अर्निंग करनी थी। वादिनी को टेलीग्राम एप पर लिंक देकर कुछ एप की रेंटिंग करायी गयी और 30 से 60 प्रतिशत का लाभ रिटर्न करने की बात बताकर पैसे इनवेस्ट करने को कहा गया। वादिनी ने 02 बार में करीब 4,000/-रूपये इनवेस्ट किया तो उसे कुल 8,500/-रूपये बढाकर वापस किये गये। इसके बाद कई प्रोसेस के नाम पर वादिनी से करीब 85,700/-रूपये जमा करा लिये गये और पुनः 01 लाख 60 हजार रूपये और इनवेस्ट करने को कहा गया तो वादिनी को आभास हुआ कि वादिनी से साइबर ठगी हो गयी है, तथ्य अंकित हैं। **इस सूचना पर तत्काल थाना काकोरी पर मु0अ0सं0 234/2024 धारा 318(4) बीएनस व धारा 66(डी) आईटी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>जोन-उत्तरी</u>

<u>थाना अलीगंज</u>

दिनांक 27/09/2024 को वादी श्री आमिर खान निवासी-बनारसी टोला, अलीगंज, लखनऊ ने थाना अलीगंज पर लिखित सूचना दिया कि दिनांक 25/09/2024 को समय करीब 08.30 बजे रात को वादी की मोटरसाइकिल नं0 UP-32 HR-8323 जिसे खड़ी करके वह शिवशक्ति मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था तभी कुछ देर बाद बाहर आकर देखा तो उसकी गाड़ी बाहर नहीं खड़ी थी। **सूचना पर थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0 258/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज चेक कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**